न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 74/2023 उनवान गजानन्द बनाम परमेश्वर ::

1. गजानन्द पुत्र भोलूराम जाति जाट
2. देवकरण पुत्र भोलूराम जाति जाट
3. विश्राम पुत्र भोलूराम जाति जाट

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. मिश्री पुत्र श्रवण जाति जाट (फौत)
2. सजनी पत्नी श्रवण जाति जाट (फौत)
    1. परमेश्वर पुत्र मिश्री उम्र बालिग
    2. रामरतन पुत्र मिश्री उम्र बालिग
    3. मनराज पुत्री मिश्री उम्र बालिग
    4. रामेश्वर पुत्र मिश्री उम्र बालिग
    5. काना पुत्र मिश्री उम्र बालिग
    6. सत्यनारायण पुत्र मिश्री उम्र बालिग

    सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।
7. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा दादिया जिला अजमेर राज.।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 07.06.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री अशोक ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक [illegible]2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 74/2023 पर दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी [illegible] और [illegible] अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त खातेदारी व [illegible] की भूमि ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा में स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 209 के खसरा संख्या 2549/1636 रकबा 1.6187 हैक्टैयर है जो कि वर्तमान में प्रार्थीग[illegible] के नाम दर्ज है जिसके चारों दिशाओं में अप्रार्थीगणों की भूमि है जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है। प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:06:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 एवं परिवारजन प्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीगणों की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार अरांई के समक्ष पेश किया था जिसपर पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा दिनांक 20.06.2023 को सीमाज्ञान किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण कृषि कार्य कर रहें है किन्तु सीमाज्ञान होने के बावजूद अप्रार्थीगण उक्त भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है।

2. प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा में स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 239 के खसरा संख्या 2549/1636 रकबा 1.6187 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

3. दिनांक 22.09.2023 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील श्री कुश कुमार ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 09.05.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 09.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 07.06.2024 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया तथा प्रकरण में पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 2549/1636 के संयुक्त खातेदार है तथा उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी आराजी संख्या खसरा संख्या 2549/1636 रकबा 1.6187 हैक्टैयर को स्वीकार किया जाना उचित है।

—: आदेश :—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि आराजी ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील अरांई में स्थित भूमि खाता संख्या 239 के खसरा संख्या 2549/1636 रकबा 1.6187 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस जमा करवाने पर वाद ग्रस्त भूमि ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील अरांई में स्थित भूमि खाता संख्या 239 के खसरा संख्या 2549/1636 रकबा 1.6187 हैक्टैयर का वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उभयपक्षकारान को नोटिस जारी कर उक्त आराजी की नाप [illegible] पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाये जाकर आज दिनांक 07.[illegible]2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली [illegible] से कम हो। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:06:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)